आईसी. -01 – बीमा के सिद्धांत

बीमा अधिनियम, 1938, 2015 में और संशोधित किया गया और अब बीमा व्यवसाय के लिए बीमा अधिनियम, 2021 लागू है।

पुस्तक में मूल पाठ

अध्याय 2 पृष्ठ क्र. 34

➢ वर्ष 2000 में बीमा क्षेत्र का उदारीकरण किया गया और इसे निजी क्षेत्र के कारोबार के लिए खोल दिया गया. बीमा क्षेत्र में 26% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई जिसमें विदेशी कंपनियों को घरेलू कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम में प्रवेश की अनुमति दी गई. बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, वर्ष 2015 ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की इस सीमा को 26% से बढ़ाकर 49 % कर दिया है।

संशोधित पाठ के रूप में

अध्याय 2 पृष्ठ क्र. 34

वर्ष 2000 में बीमा क्षेत्र का उदारीकरण किया गया और इसे निजी क्षेत्र के कारोबार के लिए खोल दिया गया. बीमा क्षेत्र में 49% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई जिसमें विदेशी कंपनियों को घरेलू कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम में प्रवेश की अनुमति दी गई. बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, वर्ष 2021 ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की इस सीमा को 49% से बढ़ाकर 74 % कर दिया है।

पुस्तक में मूल पाठ

अध्याय 2 पृष्ठ क्र. 34

स्व-परीक्षा 2

प्रश्न 2

भारत में बीमा क्षेत्र में अधिकतम कितने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गयी है?

A. 26%
B. 49%
C. 74%
D. 100%

पुस्तक में मूल पाठ

अध्याय 2 पृष्ठ क्र. 48

स्व-परीक्षा 2 का उत्तर

सही विकल्प है B.

भारत में बीमा क्षेत्र में अधिकतम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति 49% की है.

संशोधित पाठ के रूप में

अध्याय 2 पृष्ठ क्र. 48

स्व-परीक्षा 2 का उत्तर

सही विकल्प है C.

भारत में बीमा क्षेत्र में अधिकतम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति 74% की है.

पुस्तक में मूल पाठ

अध्याय 2 पृष्ठ क्र.45 & 46

बीमा कारोबार की व्यापक संभावनाएं :

बीमा की अवधारणा को मूर्त आस्तियों के कवरेज से आगे बढ़ा दिया गया है..

- अगर किसी निर्यातक ने सामानों का निर्यात किया है तो वह दूसरे देश के आयातक द्वारा भुगतान में चूक करने के जोखिम का सामना करता है .
- निर्यातक द्वारा सामान भेजे जाने और भुगतान प्राप्त करने के बीच आम तौर पर कुछ महीनों का एक समय अंतराल होता है. इस अवधि के दौरान भुगतान आने तक निर्यातक घरेलू मुद्रा में तीव्र वृद्धि की वजह से नुकसान के जोखिम के दायरे में रहता है.
- निर्यातकों को अपने देश या गंतव्य देशों में आर्थिक नीतियों में परिवर्तनों के जोखिम का भी सामना करना पड़ता है जो निर्यात के कारोबार को प्रतिकूल बना सकता है.

अब इन सभी जोखिमों का बीमा किया जा सकता है. इन जोखिमों का बीमा **निर्यात ऋण गारंटी निगम** (**ईसीजीसी**) द्वारा किया जाता है जो एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है.

चिकित्सक, वकील, लेखाकार और इंजीनियर जैसे पेशेवर लापरवाही और क्षति के लिए अनुवर्ती देयता के आरोप लगाए जाने के जोखिम का सामना करते हैं.

संशोधित पाठ के रूप में

अध्याय 2 पृष्ठ क्र.45 & 46

बीमा कारोबार की व्यापक संभावनाएं :

बीमा की अवधारणा को मूर्त आस्तियों के कवरेज से आगे बढ़ा दिया गया है..

- अगर किसी निर्यातक ने सामानों का निर्यात किया है तो वह दूसरे देश के आयातक द्वारा भुगतान में चूक करने के जोखिम का सामना करता है .
- निर्यातक द्वारा सामान भेजे जाने और भुगतान प्राप्त करने के बीच आम तौर पर कुछ महीनों का एक समय अंतराल होता है. इस अवधि के दौरान, भुगतान आने तक, निर्यातक को भुगतान न करने जैसे नुकसान के जोखिम का सामना करना पड़ता है।

अब इन सभी जोखिमों का बीमा किया जा सकता है. इन जोखिमों का बीमा **निर्यात ऋण गारंटी निगम** (**ईसीजीसी**) द्वारा किया जाता है और ऋण बीमा पॉलिसियों की पेशकश करने वाली अन्य सामान्य बीमा कंपनियां।

चिकित्सक, वकील, लेखाकार और इंजीनियर जैसे पेशेवर लापरवाही और क्षति के लिए अनुवर्ती देयता के आरोप लगाए जाने के जोखिम का सामना करते हैं. इस तरह के नुकसान को दायित्व बीमा के तहत कवर किया जा सकता है.

<u>पुस्तक में मूल पाठ</u>

<u>अध्याय 4 पृष्ठ क्र.73 & 74</u>

1.1 **भारतीय बाज़ार में काम कर रहे बीमाकर्ता :**

वर्ष 1999 से पहले, राष्ट्रीयकरण के युग के दौरान, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी), भारतीय साधारण बीमा निगम (जीआईसी) और इसकी 4 सहायक कंपनियों के पास भारत में बीमा कारोबार के लेनदेन का विशेषाधिकार था। वर्ष 1999 के बाद, उदारीकरण के पश्चात, तत्कालीन वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने प्रधान मंत्री श्री पी वी नरसिंह राव के नेतृत्व में सुधार किए थे।

निजी क्षेत्र और विदेशियों की भागीदारी के लिए कई क्षेत्र खोले गए थे। बीमा क्षेत्र भी उनमें से एक था। भारत में बीमा कारोबार के संचालन के लिए निजी बीमा कंपनियों को पंजीकरण प्रदान करने के लिए बीमा अधिनियम, 1938 को वर्ष 1999 में संशोधित किया गया था। बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) स्थापित किया गया था। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने निजी बीमा कंपनियों को अनुमति दी कि वे नई व्यवस्था के तहत पंजीकरण करें। संयुक्त उद्यमों के माध्यम से साझे के रूप में विदेशी कंपनियों को लाने के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति 26% तक देकर घरेलू निजी कंपनियों के लिए मार्ग तैयार किया गया। बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) 26% की मूल सीमा से 49% तक बढ़ाने का प्रस्ताव (दिसंबर, 2010 से) अनुमोदन के लिए लंबित था, जिसे संसद ने मार्च, 2015 में मंजूरी दे दी है।

<u>संशोधित पाठ के रूप में</u>

<u>अध्याय 4 पृष्ठ क्र. 73 & 74</u>

1.1 **भारतीय बाज़ार में काम कर रहे बीमाकर्ता :**

वर्ष 1999 से पहले, राष्ट्रीयकरण के युग के दौरान, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी), भारतीय साधारण बीमा निगम (जीआईसी) और इसकी 4 सहायक कंपनियों के पास भारत में बीमा कारोबार के लेनदेन का विशेषाधिकार था। वर्ष 1999 के बाद, उदारीकरण के पश्चात, तत्कालीन वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने प्रधान मंत्री श्री पी वी नरसिंह राव के नेतृत्व में सुधार किए थे।

निजी क्षेत्र और विदेशियों की भागीदारी के लिए कई क्षेत्र खोले गए थे। बीमा क्षेत्र भी उनमें से एक था। भारत में बीमा कारोबार के संचालन के लिए निजी बीमा कंपनियों को पंजीकरण प्रदान करने के लिए बीमा अधिनियम, 1938 को वर्ष 1999 में संशोधित किया गया था। बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) स्थापित किया गया था। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने निजी बीमा कंपनियों को अनुमति दी कि वे नई व्यवस्था के तहत पंजीकरण करें। संयुक्त उद्यमों के माध्यम से साझे के रूप में विदेशी कंपनियों को लाने के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति 49% तक देकर घरेलू निजी कंपनियों के लिए मार्ग तैयार किया गया। बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (F.D.I.) को 49% की मूल सीमा से बढ़ाकर 74% करने के प्रस्ताव को संसद में बीमा संशोधन विधेयक 2021 पारित करके मंजूरी दे दी गई है।

<u>पुस्तक में मूल पाठ</u>

<u>अध्याय 4 पृष्ठ क्र.82</u>

2.4 **बीमा विपणन फर्म (आईएमएफ) :**

भारतीय नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) (बीमा विपणन फर्म पंजीकरण) विनियम, 2015, के तहत कभी भी 3 जीवन बीमा कंपनियों, 3 साधारण बीमा कंपनियों (केवल बीमा उत्पादों की खुदरा पॉलिसियों जैसे, मोटर, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत दुर्घटना, घरेलू, दुकानदार, आदि) और 3 स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के बीमा कारोबार का प्रचार और उसे खरीदने के लिए इस नये बीमा मध्यस्थ की व्यवस्था उपलब्ध की जाती है। इसके अलावा, बीमा कंपनियों के साथ के कार्य में कोई भी बदलाव प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन और मौजूदा पॉलिसी धारकों की सेवा के लिए उपयुक्त व्यवस्था के साथ ही किया जा सकता है।

निम्नलिखित 4 **संस्थाओं को बीमा विपणन फर्म (आईएमएफ) के रूप में नियुक्त किया जा सकता है:**

1. कंपनी अधिनियम, 2013, या किसी अन्य कंपनी कानून के तहत बनाई गई कोई कंपनी।
2. सीमित देयता साझे (एल.एल.पी.), जो सीमित देयता साझे अधिनियम, 2008 के तहत बनाई और पंजीकृत है।
3. सहकारी सोसायटी अधिनियम, सन् 1912 या किसी अन्य समान कानून के तहत पंजीकृत सहकारी समितियाँ।
4. कोई भी अन्य व्यक्ति, जो बीमा विपणन फर्म (आईएमएफ) के रूप में कार्य करने के लिए *भारतीय नियामक एवं विकास प्राधिकरण* (आईआरडीएआई) द्वारा मान्यता प्राप्त हो सकता है।

उपर्युक्त संस्थाओं में से किसी के लिए भी, अपने नाम में "बीमा विपणन" होना चाहिए और उसका न्यूनतम " कुल मूल्य", जो हर समय 10 लाख रुपए बनाए रखा जाना चाहिए; और इसे मल्टी-लेवल मार्केटिंग (एमएलएम) नहीं करना चाहिए।

<u>संशोधित पाठ के रूप में</u>

<u>अध्याय 4 पृष्ठ क्र.82</u>

2.4 **बीमा विपणन फर्म (आई एम एफ)** :

भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए आई) (बीमा विपणन फर्म का पंजीकरण) विनियम, 2015 और (बीमा विपणन फर्म का पंजीकरण) (संशोधन) विनियम, 2019 बीमा विपणन फर्मों को देश में बीमा पहुंच की अभिवृद्धि के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करने के लिए एक सक्षम वातावरण प्रदान करता हैं। बीमा विपणन फर्म (आई एस पी) किसी समय अधिकतम दो जीवन बीमाकर्ताओं, दो सामान्य बीमाकर्ताओं और दो स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के बीमा उत्पादों को साग्रह सुलभ कराने हेतु बीमा विक्रय व्यक्तियों (आई एस पी) को नियुक्त करेगा।

उनके पास एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड और एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन लिमिटेड (ई सी जी सी) के साथ जुड़ने का विकल्प भी होगा।

आई एम एफ प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रारूप में, बीमाकर्ताओं के साथ जुड़ाव में किसी भी परिवर्तन के बारे में प्राधिकरण को सूचित करेगा।

आई एम एफ निम्नलिखित को साग्रह सुलभ करा सकेंगे:

a) व्यक्तिगत और/अथवा खुदरा आधार पर बेचे जाने वाले सभी प्रकार के उत्पाद, जिसमें गैर-कर्जदार किसानों के लिए फसल बीमा और कॉम्बी उत्पाद शामिल हैं ("कॉम्बी उत्पाद" का अर्थ प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित जीवन, सामान्य और स्वास्थ्य बीमा का कोई संयोजन है)।
b) **एम एस एम ईज़ के लिए संपत्ति, ग्रुप पीए, ग्रुप हेल्थ, जी एस एल आई और टर्म इंश्योरेंस पॉलिसियाँ।**

शुद्ध सम्पति (नेट वर्थ) :
आवेदक की शुद्ध सम्पति निम्नानुसार होगी:

a. पांच लाख रुपये से कम नहीं, यदि आवेदक केवल एक जिले के लिए विकल्प ले रहा है, जो एक आकांक्षी जिला है।.
   बशर्ते, आकांक्षी जिले की स्थिति में परिवर्तन से उत्पन्न शुद्ध सम्पति में वृद्धि, पंजीकरण के नवीनीकरण के समय अनिवार्य है।
b. अन्य सभी मामलों के लिए, दस लाख रुपये से कम नहीं।

स्पष्टीकरण:

इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए, " शुद्ध सम्पति " का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 और जो समय समय पर संशोधित हो , में नियत अर्थ होगा।

"आकांक्षी जिले" का अर्थ नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा इस रूप में नामित जिला अथवा कोई अन्य आर्थिक रूप से पिछड़ा जिला है, जिसे प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्रदान की जा सकती हो ।

<u>पुस्तक में मूल पाठ</u>
<u>अध्याय 4 पृष्ठ क्र.102</u>

प्रश्न 2

भारत में बीमा में कितने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति है?

A. 26%

B. 49%

C. 51%

D. 74%

<u>पुस्तक में मूल पाठ</u>
<u>अध्याय 4 पृष्ठ क्र.103</u>

स्वयं परीक्षा का जवाब 2

सही विकल्प B है।

भारत में, बीमा में, 49% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति है।

<u>संशोधित पाठ के रूप में</u>

<u>अध्याय 4 पृष्ठ क्र. 103</u>

स्वयं परीक्षा का जवाब 2

सही विकल्प D है।

भारत में, बीमा में, 74% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति है।